मिली है । स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत नियमित समयान्तरालों पर जांच पड़ताल की जा रही है । जहां तक बहुत बड़ी मात्रा में सम्पत्ति अर्जन करने का संबंध है यह सूचित किया गया है कि मैसर्स बावा ज्वैलर्स की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है । केवल फर्म के साझेदारों के पास ही कुछ सम्पत्तियां हैं जिन्हें उनकी धनकर विवरणियों में घोषित किया गया है । आयकर विभाग की जानकारी में ऐसी बात नहीं आई है जिससे यह पता चले कि ये सम्पत्तियां गैर कानूनी व्यवसाय में लिप्त होकर प्राप्त की गई हैं । बावा ज्वैलर्स के सम्पत्ति अर्जन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा एटलस कम्पनी को ऋण

1476. **श्री हुकमदेव नारायण यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटलस कम्पनी, सोनीपत, हरियाणा को विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब तक किस प्रकार के कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं और इस प्रकार का निवेश कम्पनी के कुल निवेश का कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं (विश्वसनीयता तथा गोपनीयता से सम्बन्धित बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों और इन संस्थाओं के परिचालनों को नियंत्रित करने वाली अन्य संविधियों के अनुसार संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । चूंकि प्रश्न में पूछे गए ब्यौरे एक ग्राहक से सम्बन्धित हैं, इसलिए ये ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते ।

Export of Essential Commodities

1477. SHRIMATI KANAK MUKHMUKHERJEE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state the value of each essential commodity exported during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANAN LASKAR): The primary object of the Government is to promote exports to the maximum extent, but in such a manner that the economy of the country is not affected by unregulated exports of essential items needed within the country. Export control is, therefore, exercised in respect of a limited number of items whose supply position demands that their exports should be regulated in the larger interest of the country.

The details of commodity-wise exports /imports in respect of essential and other commodities are available only upto September, 1982. Moreover, the descriptions of the items in terms of the trade classification also do not match precisely with the descriptions of the essential commodities.

The statistics in respect of selected items of exports pertaining to essential commodities for 1981-82 and for the first half of 1982-83 are indicated below:—

Value: Rs. Lakhs

Items/Group of items	1981-82	April—September 1982 (Provisional)
Rice (Basmati & Non-Basmati)	36778	12276
Wheat	56	—
Gram	6	8
Masoor (Lentil)	24	25
Groundnut Oil	21	—
Milk & Cream	58	5
Fish & Fish preparation	28034	17201
Meat and Meat preparation	7955	3515
Potato	52	105
Onion fresh	2944	1851
Cane sugar refined	4918	1882
Cane Jaggery	50	25
Chillies	242	471
Tea and mate	39520	15023
Matches	10	2
Common Salt	80	227
Washing soap	81	9
Coal, coke and briquettes	396	221
Cotton fabrics	29455	11599

In respect of a few items the export figures for 1982-83 and 1983-84 are also available as shown below:—

Value Rs. lakhs

Item/Group of items	1982-83	1983-84(P)
Rice	19941	12283
Wheat	—	129
Fish and fish preparations	34865	32247
Meat and meat preparations	8011	6247
Sugar and sugar preparations	5646	13695
Tea	36462	50085
Cotton fabrics	26427	27097

(P) Provisional and subject to revision.
Source: DGCI and S, Calcutta.

राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

1478. **श्री राम नरेश कुशवाहा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दरीबा कलां तथा निशाद चिट फण्ड, दिल्ली एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि सदस्यों को 8 हजार रुपए की चिट वैल्यू है परन्तु वास्तव में उन्हें केवल 5,200 रुपए लाभांश के रूप में काट लिए जाते हैं और उस राशि को सदस्यों में नहीं बांटा जाता है;

(ग) फरवरी, 1982 तक उक्त चिट फण्ड ने कितने सदस्यों को पूरे 8,000 रुपए का ऋण दिया है और कितने सदस्यों को केवल केवल 5,200 रुपए दिए हैं; और

(घ) क्या उक्त चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार सूचना इस प्रकार है :—

निशाद चिट फण्ड, दिल्ली के नाम से प्रशासन के पास ऐसी कोई कम्पनी रजिस्टर्ड नहीं की गयी है ।

1964 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर यथाविस्तारित मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार चिट श्रृंखलाओं में बोलियों के आधार पर चिटों के मूल्यों के 40 प्रतिशत तक लाभांश की अनुमति है जिसमें कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन भी शामिल है । राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि., ने 8,000 रुपए के मूल्य वर्ग की केवल एक चिट श्रृंखला चलाई थी जिसके अप्रैल 1981 से जुलाई 1984 तक की अवधि के दौरान 40 महीनों के लिए 40 अभिदाता थे। इस श्रृंखला में कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन सहित 35 प्रतिशत लाभांश दिया गया था । इस प्रकार 8,000 रुपए की चिट मूल्यों के मामले में, इनाम पाने वालों को 5,200 रुपए की पेशकश की गयी और बाकी रकम कम्पनी के फोरमैन की 5 प्रतिशत काटने के बाद सभी अभिदाताओं के बीच लाभांश के रूप में बांट दी गयी ।

फरवरी 1982 तक इनाम पाने वाले 10 अभिदाताओं को 5,200 रुपए की दर से अदायगी की गयी। ये अदायगीयां अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गयी ।

चिट फण्ड रजिस्ट्रार, दिल्ली को राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि. के खिलाफ अनियमितताओं की 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है ।

Central team to arrange bulk purchases of handicraft items from Jammu and Kashmir

1479. SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Jammu and Kashmir has approaches the Central Government to send a team of officers to the State to arrange bulk purchases of handicraft items as was done a few years ago; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) A letter has been received from the Government